# पट्टाधारकों के लिए नागरिक चार्टर

यह चार्टर दिल्ली के अधिकार - क्षेत्र में आने वाली सम्पत्तियों के पट्टाधारियों को नजूल पट्टों, पुनर्वास पट्टों व जमीनों बाबत तथा उनके विक्रय/अन्तरण/नामान्तरण/प्रतिस्थापन/रेहन और फ्री-होल्ड की अनुमति बाबत भूमि तथा विकास कार्यालय की वचनबद्धता का परिचायक है। पट्टा के आशय से करार का सह-सम्बन्ध "पट्टाधारक" (सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, कम्पनी, संस्थाओं और नागरिकों आदि ) तथा "पट्टाकर्ता " - भूमि तथा विकास अधिकारी के बीच होगा ।

भूमि तथा विकास कार्यालय यह भी वायदा करता है कि वह निम्नलिखित बाबत सूचना सुलभ करेगा: -

- कार्यालय के संगठन का ढांचा, कार्यालय के अनुभाग अधिकारी के स्तर तक के सभी श्रेणी के अधिकारियों के नाम, पदनाम आदि की सूचना ।
- पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा विभिन्न प्रकार के अभिकरारों बाबत अन्य अपेक्षाएं, भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र ।
- पुस्तिका के माध्यम से फ्रीहोल्ड में अन्तरण हेतु आवेदन पत्रों की सूचना जो सूचना सुविधा केन्द्र तथा यू टी आई बैंक की नामित शाखाओं में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे ।
- संपत्तियों की विक्रय अनुमति, नामान्तरण, प्रतिस्थापन आदि कार्य विधि सहित मुद्रित आवेदन फार्मो के जरिए और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित आवेदन प्रपत्र नि:शुल्क या "डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एल डी ओ डॉट एन आई सी डॉट इन" वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते है ।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसको और किस तरह आवेदन किया जाये ( इस मामले में जन-संपर्क अधिकारी तथा संबंधित शाखा अधिकारी एवं सूचना सुविधा केन्द्र के कर्मचारी आवश्यक सूचना प्रदान करेंगे )।

**भूमि तथा विकास कार्यालय निम्नलिखित तरीके से सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा:-**

- पट्टाधारकों को नीतिगत प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना, समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करके तथा ऐसी जानकारी भूमि तथा विकास कार्यालय के सूचना पट तथा सूचना सुविधा केन्द्र में मोटे अक्षरों में लिखकर या वेबसाइट के जरिए सुलभ की जाएगी ।
- सम्पत्तियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन, विक्रय, नामान्तरण, प्रतिस्थापन तथा आवेदन पत्रों का निपटान उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के अन्दर कर दिया जाएगा, बशर्ते कि पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत अन्य कागजात तथा उनमें दी गयी सूचना सही तथा पूर्ण हो।
- पट्टे की शर्तो के उल्लंघन के लिए, अर्थात् अनधिकृत निर्माण आदि करने पर जिन प्रभारों की मांग की जाएगी, उनका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा पट्टाधारक द्वारा उसकी अदायगी मांगपत्र मिलने की तारीख से 30 दिन के अन्दर करनी होगी ।

**और यदि कोई असंगति पाई जाए तो -**

- शिकायत निवारण प्रक्रिया बाबत विस्तृत सूचना तथा नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पता व फोन नम्बर भूमि तथा विकास कार्यालय के सूचना पट के साथ-साथ सूचना सुविधा केन्द्र में भी प्रदर्शित किया जाएगा ।
- पट्टाधारकों से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतों की पावती तत्काल भेज दी जाएगी तथा उसका खुलासा उत्तर 30 दिन के अन्दर भेज दिया जाएगा।

**भूमि तथा विकास कार्यालय बदले में सभी पट्टाधारकों से अपेक्षा करता है कि वे: -**

- पट्टा विलेख के सभी प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन करेंगे।
- पट्टा विलेख, पट्टा करार आदि में यथा निहित भूमि किराया आदि का समय पर भुगतान करेंगे ।
- पट्टाकर्ता द्वारा सम्पत्ति के निरीक्षण के समय, बिना किसी बहाने के उसे पूरा सहयोग देंगे तथा इसमें टाल मटोल नहीं करेंगे तथा ऐसे निरीक्षणों को नहीं टालेंगे ।
- पट्टाकृत सम्पत्ति के अन्दर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं करेंगे ।
- पट्टा सम्पत्ति का उपयोग, पट्टा विलेख में निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं करेंगे ।
- इस चार्टर में सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं : -

**जन सम्पर्क अधिकारी,**
**भूमि तथा विकास कार्यालय,**
**निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011**
**( टेलीफोन नं0- 23061448 )**